



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2, 2011/आषाढ़ 11, 1933

No. 359]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2, 2011/ASADHA 11, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2011

सा.का.नि. 502(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 10ड की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2011 है।

(2) ये तारीख 1-1-2006 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे।

2. कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1993 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 9 में,—

(क) उप-नियम (1) में, "26000" अंकों के स्थान पर "80000 (नियत)" अंक रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में, "24050-650-26000" अंकों के स्थान पर "एचएजी + 75500-80000" अंक रखे जाएंगे;

(ग) उप-नियम (3) में, "22400-525-24500" अंकों के स्थान पर "एचएजी + 67000-(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)-79000" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए-12018/1/2011-एडी. IV]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 388(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 503(अ), तारीख 3 जून, 1994, सा.का.नि. 253(अ), तारीख 28 मई, 1996, सा.का.नि. 532(अ), तारीख 20 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. 49(अ), तारीख 31 जनवरी, 1997, सा.का.नि. 370(अ), तारीख 30 जून, 1998, सा.का.नि. 203(अ), तारीख 12 मार्च, 1999, सा.का.नि. 680(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1999, सा.का.नि. 683(अ), तारीख 5 अक्टूबर, 1999, सा.का.नि. 588(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2007 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2011

G.S.R. 502(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 10E read with clause (a) of sub-section (1) of Section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, namely :—

1. (1) These rules may be called Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force retrospectively w.e.f. 1-1-2006.

2. In the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 9,—

- (a) in sub-rule (1), for the figures “26000” the figures “80000 (fixed)” shall be substituted;
- (b) in sub-rule (2), for the figures “24050-650-26000” the figures “HAG + 75500-80000” shall be substituted;
- (c) in sub-rule (3), for the figures “22400-525-24500” the figures “HAG + 67000 (annual increment @ 3%)-79000” shall be substituted.

[F. No. A-12018/1/2011-Ad. IV]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note : Principal rules were notified *vide* G.S.R. 388(E), dated April 28, 1993 and subsequently amended *vide* G.S.R. 503(E), dated June 3, 1994 G.S.R. 253(E), dated May 28, 1996, G.S.R. 532(E), dated November 20, 1996, G.S.R. 49(E), dated January 31, 1997, G.S.R. 370(E), dated June 30, 1998, G.S.R. 203(E), dated March 12, 1999, G.S.R. 680(E), dated September 30, 1999, G.S.R. 683(E), dated October 5, 1999, G.S.R. 588(E), dated September 13, 2007.